

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- अशोक सांगवा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 61/2012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. गनी खॉ पुत्र कोजु खॉ जी		1. ताजु खॉ पुत्र ईबु खांजी
2. रसाल खॉ पुत्र कोजु खॉ जी		2. जकाऊखॉ पुत्र ईबु खांजी
3. उम्मेद खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		3. बरे खॉ पुत्र ईबु खांजी
4. रमजान खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		4. सोडे खॉ उर्फ शरीफ खॉ पिसरान ईबु खॉजी
5. गांधी खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सिन्धीनगर कापरड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
6. बाबू खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		5. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर
7. लाडू खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		6. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा भावी
8. हिदायत खॉ पुत्र श्री सुल्तानखॉ सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सिन्धीनगर कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 25.01.2017

पत्रावली वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र पर आज पेश हुयी। वादीगण की ओर से इस प्रार्थना पत्र से सम्बंधित राजस्व मूल वाद संख्या 59/2012 गनी खॉ वगैरा बनाम ताजु खॉ वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये विद्माल के खारिज हो चुका है। अतः मूलवाद खारिज हो जाने से यह प्रार्थना पत्र भी सारहीन हो चुका है। अत एवं यह प्रार्थना पत्र सारहीन हो जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैशलसुमार व नम्बर से कम होकर मूल वाद संख्या 59/2012 गनी खॉ वगैरा बनाम ताजु खॉ वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा